

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

कमॉक बी-13/1/09 /14-2/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02 फरवरी 2011


कलेक्टर
जिला.....(समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सूखा प्रभावित जिलों में
सहायता ।

वर्ष 2009 में अवर्षा की स्थिति निर्मित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से आपदा सहायता हेतु मॉग की गई थी । राष्ट्रीय आकस्मिकता आपदा कोष से इनपुट सब्सिडी के रूप में ऐसे किसान जिनकी 50% अथवा उससे अधिक फसल प्रभावित हुई है, को सहायता दी जा सकती है । मध्यप्रदेश को इनपुट सब्सिडी के रूप में रूपये 227.77 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है । भारत सरकार के इनपुट सब्सिडी वितरण के संबंध में दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है ।

- 2 कृपया आप तत्काल जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में वर्ष 2009 को आधार मानते हुए, क्या राहत राशि की आवश्यकता होगी, इसकी मॉग विवरण सहित विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 05.02.2011 को श्री विजय पंडित, उप सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कक्ष 62, ग्राउण्ड फ्लोर में 12 बजे तक भिजवाने का कष्ट करें । वर्ष 2009 के सूखा प्रभावित ग्रामों में ऐसे किसान जिनकी फसल क्षति 50% अथवा उससे अधिक हुई है, उन्हें इस कोष से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाना है ।
- 3 इनपुट सब्सिडी के प्रावधानों में कृषि फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलें भी आती हैं व कंडिका 3-इ (1) (2) तथा 4 (1) के तहत यह अनुदान राशि दी जानी है ।

संलग्न :- उपरोक्त प्रकार



(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृष्ठॉकन कर्ऑक बी-13/1/09/14-2/
प्रतलललपल-

डुडलल, दलनॉक 02 डरवरल 2011

1. अडर डुखुड सऑलव एवं कृषल उतुडलदन आयुक्त, ड0डुर0शलसन, डुडलल ।
2. संडुडलगीड आयुक्त (सडसुत) डधुडडुरदेश ।
3. संऑललक, कलसन कलुडलण तथल कृषल वलकलस, ड0डुर0 डुडलल ।
4. संडुडलत संऑललक (सडसुत) कलसन कलुडलण तथल कृषल वलकलस, ड0डुर0 ।
कृडडुडल ऑललु से ऑलनकलरल संकललत कर दलनॉक 05.02.2011 कु डलऑलवलनल सुनलशलऑलत करलवे ।



डुरडुडुडु सऑललव
डधुडडुरदेश शलसन

कलसन कलुडलण तथल कृषल वलकलस वलडुडलग

3	(ड) कृषि इनपुट सब्सिडी जहां फसल की क्षति 50% या इससे अधिक थी।	
	(i) कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक पौधरोपण फसलों के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। ➤ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। <p>(क) बिन बोर्ड अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी।</p> <p>(ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 250/-रु. से कम नहीं होगी।</p>
	(ii) बारहमासी फसलें	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।
		<p>(क) बिन बोर्ड अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी।</p> <p>(ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 500/-रु. से कम नहीं होगी।</p>
4.	छोटे और सीमांत किसानों से भिन्न किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी	<p>जिन मामलों में फसल का नुकसान 50% या इससे अधिक हो उनमें, धारित भूमि के आकार के बड़ा होते हुए भी क्रमिक आपदाओं की स्थिति में 1 हेक्टेयर प्रति किसान की सीमा के अध्यक्षीन तथा 2 हेक्टेयर प्रति किसान तक, निम्नलिखित दरों पर सहायता दी जा सकती है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। ➤ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। ➤ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। <ul style="list-style-type: none"> ○ बिन बोर्ड अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी।